

मांग संख्या 41
मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1

शासकीय एवं अशासकीय स्कूलों के कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों के निःशुल्क पाठ्यपुस्तक प्रदाय करने हेतु रूपये 200.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 2,00,000,00 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2 से 3

सर्वशिक्षा अभियान के राज्यांश हेतु रूपये 5000.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भवन निर्माण हेतु राशि रूपये 915.00 लाख का अनावर्ती व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 9,15,00,000 का अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

तोकापाल जिला बस्तर में 50 सीटर पोस्ट मैट्रिक छात्रावास खोलने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु राशि रूपये 2.59 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 100 का प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

अनुसूचित जनजाति पी.एम.टी./पी.ई.टी. के व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु राशि रूपये 61.89 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 61,89,000 का अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7 से 8

राज्य के 1000 स्कूलों में कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रारंभ करने हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत राशि रूपये 1000.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनांतर्गत अनुसूचित जनजाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु रूपये 52.92 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 52,92,000 का अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 10 से 13

भारत सरकार के आयुष विभाग के अत्यावश्यक औषधि योजनांतर्गत राशि रूपये 51.96 लाख का व्यय संभावित है। यह राशि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 51,96,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 14 से 16

राष्ट्रीय आयोडिन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत राशि रूपये 851 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 8,51,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक 17

अन्त्यावसायी वित्त एवं विकास निगम हेतु स्थापना अनुदान राशि रूपये 100.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 1,00,00,000 का अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 18

बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र विकास प्राधिकरण हेतु राशि रूपये 300.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 3,00,00,000 का अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2401

मद क्रमांक 19

आलू विकास योजनान्तर्गत राशि रूपये 6.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 6,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2403

मद क्रमांक 20

गौवंश वितरण योजनान्तर्गत दोपहिया वाहन क्रय हेतु राशि रूपये 6.50 लाख का व्यय संभावित है । यह विभागीय बचत से किया जायेगा । यह नवीन मद है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2406

मद क्रमांक 21

वन ग्रामों का विकास हेतु राशि रूपये 4755.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 47,55,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2851

मद क्रमांक 22

हस्तशिल्प विकास केन्द्रों के कार्यरत अमलों के स्थापना अनुदान हेतु रूपये 37.00 लाख व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 37,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4202

मद क्रमांक 23

राज्य शासन द्वारा प्रौ.मै. अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास भवन निर्माण -गढू लझर जिला महासमुद, तोकापाल जिला दन्तेवाड़ा एवं कन्या आश्रम रानीबोदली जिला दन्तेवाड़ा तथा वाड्रफनगर जिला रायगढ़ में क्रीड़ा परिसर भवन निर्माण का निर्णय लिया गया है । इस हेतु क्रमशः राशि रूपये 83.83 लाख एवं राशि रूपये 63.31 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 100 का प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4225

मद क्रमांक 25

राज्य शासन द्वारा सूचना केन्द्रों की स्थापना हेतु राशि रूपये 21.637 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से की जायेगी ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।